

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 522/2024

अनवान : -

1. दलीप कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
2. ममता पत्नी पुनेश कुमार जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
2. सुमित्रा पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
3. मजू पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
4. राममूर्ति पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
5. मघीदेवी पत्नी रामचन्द्र (माता पुनेश कुमार) जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
6. रितु बाला कुमारी पुत्री पुनेश कुमार जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
7. आरजू पुत्री पुनेश कुमार जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
8. संजू कुमार पुत्री पुनेश कुमार नाबालिग जरिये कुदरती बली दादी मघी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
9. स्नेहा पुत्री पुनेश कुमार नाबालिग जरिये कुदरती बली दादी मघी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
10. भावना पुत्री पुनेश कुमार नाबालिग जरिये कुदरती बली दादी मघी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 21/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्बत 2070-2073 के खाता संख्या 72/72 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 5.2870 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो कि वादी संख्या 1 की बहिने व वादीया संख्या 2 की ननदे है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता, भाई व भाई के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं 5 जो कि वादी संख्या 1 की माता व वादीया संख्या 2 की सास है उपरोक्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पति, पुत्र व पुत्र के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादीया संख्या 6 ता 10 जो कि वादीया संख्या 2 की

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

पुत्रिया है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 72/72 के प0 नं0 315/383 (79) के किला नं. 12, 13, 14, 17, 18, 19 व 20 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है एवं शेष भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।


अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 11 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

  
उपज्जु अधिकारी  
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार भूमि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 72/72 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 5.2870 है। भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 72/72 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 5.2870 है। भूमि में से प 0 नं 315/383 (79) के किला नं. 12, 13, 14, 17, 18, 19 व 20 प्रत्येक की 0.2530 है। भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जाकर एवं इसी खाता की शेष भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 522/2024

अनवान : -

1. दलीप कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
2. ममता पत्नी पुनेश कुमार जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।

- वादी

### बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
2. सुमित्रा पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
3. मंजू पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
4. राममूर्ति पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
5. मघीदेवी पत्नी रामचन्द्र (माता पुनेश कुमार) जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
6. रितु बाला कुमारी पुत्री पुनेश कुमार जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
7. आरजू पुत्री पुनेश कुमार जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
8. संजू कुमार पुत्री पुनेश कुमार नाबालिग जरिये कुदरती बली दादी मघी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
9. स्नेहा पुत्री पुनेश कुमार नाबालिग जरिये कुदरती बली दादी मघी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
10. भावना पुत्री पुनेश कुमार नाबालिग जरिये कुदरती बली दादी मघी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 522 सन 2024 निर्णय दिनांक - 21/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 72/72 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 5.2870 है0 भूमि में से प0 नं0 315/383 (79) के किला नं. 12, 13, 14, 17, 18, 19 व 20 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जाकर एवं इसी खाता की शेष भूमि का वादीगण संख्या 1 तां 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर